सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांक: 17.07.2025

फा. सं.: NCST/DEV-1536/RJ/4/2023-ESDW-RU-IV

सेवा मे,

सचिव,
रेल मंत्रालय/रेल्वे बोर्ड,
रेल भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिल्ली 110001
ई-मेल : secyrb@rb.railnet.gov.in

विषय: अंतिम भुगतान व पेंशन की सुविधा प्रदान न करने के संबंध में श्रीमती कैलाशी देवी मीना पत्नी श्री धर्म सिंह मीना, सतानंद कॉलोनी, ग्राम/पोस्ट-मंडावर, तहसील-मंडावर (दौसा) राजस्थान से दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है

Encl: as above

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती कैलाशी देवी मीना,
पत्नी श्री धर्म सिंह मीना,
सतानंद कॉलोनी, ग्राम/पोस्ट-मंडावर,
तहसील-मंडावर (दौसा) राजस्थान – 321609

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-1536/RJ/4/2023-ESDW

श्रीमती कैलाशी देवी मीना पत्नी श्री धर्म सिंह मीना, सतानंद कॉलोनी, ग्राम/पोस्ट-मंडावर, तहसील-मंडावर(दौसा) राजस्थान के दिनांक 15.02.2023 को अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	30.06.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

अभ्यावेदिका (श्रीमति कैलाशी देवी) ने आयोग को अवगत कराया है की उसके पति (श्री धर्म सिंह मीना) जोकि मेल गार्ड के पद पर आगरा छावनी (झाँसी मण्डल) में कार्यरत थे। एक दिन वो कार्य के दौरान तूफान एक्सप्रेस नामक चलती हुई ट्रेन से गिर गए थे जिसके कारण वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे उसके कुछ दिन बाद वे पुन: उत्कल एक्सप्रेस नामक चलती हुई ट्रेन से दोबारा गिर गए जिसके परिणामस्वरूप वे ड्यूटी नहीं कर पाते थे, फलस्वरूप रेल्वे द्वारा वर्ष 1998 में उन्हे नौकरी से हटा दिया गया। परंतु रेल्वे प्रशासन द्वारा उन्हे आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया गया और न ही उन्हे पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है और न ही उनके किसी भी बच्चे को दया आधार पर नौकरी दी गई है। अभ्यावेदिका ने आयोग को अवगत कराया है की उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। अत उनको न्याय दिया जाए और उनका बकाया और उनकी पेंशन जारी की जाए।

2. प्रकरण में, अनुपालन रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु सचिव, रेल्वे मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 02.11.2023 को नोटिस जारी किया गया।

आशा लकड़ा

3. मामले में आयोग में दिनांक 07.06.2024 को सुनवाई हुई थी जिसका कार्यवृत विभाग को जारी कर दिया था।

4. मामले में दिनांक 30.06.2025 को आयोग द्वारा फिर से सुनवाई निर्धारित की गयी जिसमे भी संबन्धित अधिकारी व् प्रार्थी उपस्थित रहे।

- **मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-**

1. रेलवे विभाग ने बताया की अभ्यावेदिका को उनके पति के रेलवे में सेवा सम्बन्धी लाभ प्रदान किया जा चूका है
2. रेलवे विभाग ने बताया की पूर्व में प्रार्थियों की तरफ से विभाग को कोई भी पत्राचार या चिकित्सीय दस्तावेज प्राप्त नही हुआ था अत प्रार्थी अपने तथ्यों को साबित करने के लिए रेलवे को कथित दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाए अत मामले में आयोग द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नही है

आशा लकड़ा
14/07/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1536/RJ/4/2023-ESDW

Sitting to be held on **30.06.2025 at 05.00 P.M-** Representation dated 15.02.2023 from **Mrs. Kailashi Devi Meena**, wife of Mr. Dharm Singh Meena, Satanand Colony, Village/Post - Mandawar, Tehsil - Mandawar (Dausa), Rajasthan - 321609 regarding non-provision of final payment and pension facilities.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Secretary, Ministry of Railways, New Delhi**		
1.	P.K. SAF1, EDIE,XPS. RM, Bd.	8882709285	[signature]
2.	Abheejit Kumar Sinha ED F(E) Rly. Bd.	9717141084	[signature]
3.	Prem Prakash Sharma ADRM/Infra NCRLY-JHS	9794838001	[signature]
4.	Rajesh Kumar Sharma Sr. DPO/ JHS/NCR	9794838600	[signature]
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Teekam Chand Meena		
2.	Rohitash meena	7742159610	Rohitash meena